



भारत सरकार Government of India  
रेल मंत्रालय Ministry of Railways  
रेलवे बोर्ड Railway Board



**Office Order No. 19 of 2024**

(Amendment No. 60 to Subject  
List, July, 2013 edition)

**Sub.: Revised subject list of Safety (Accidents & Rules) Branch,  
Safety (Implementation) Branch and TT-IV Branch.**

It has been decided to transfer some subjects of **Safety (Accidents & Rules) Br.** and **Safety (Implementation) Br.** of **Safety Directorate** to **TT-IV branch of Traffic Transportation Directorate** as per details tabulated below. The revised subject list of above said branches would be as per the list enclosed at **Annexure-I**. Further, TT-IV branch would report to Director/TT(G) under EDTT/S for these subjects as indicated below:-

S. No.	Subjects	Transferred From	Transferred to
1	All matters related to general rules and subsidiary rules.	Safety (Accidents & rules) (Item No.14)	TT-IV
2	Matters pertaining to Station Working Rules (SWRs).	Safety (Accidents & rules) (Item No.15)	
3	References of Zonal Railways relating to Operating Rules.	Safety (Accidents & rules) (Item No.17)	
4	Issues relating to running staff.	Safety (Implementation) (Item No.6)	
5	Analysis of over 10-hour-duty cases of loco pilots.	Safety (Implementation) (Item No.7)	
6	Matters related to EOTT	Safety (Implementation) (Item No.18 Pt.)	

2. The above issues with the approval of the competent authority.

No. 2024/O&M/7/10

Dated: 25.04.2024

(T. Srinivas)

Joint Secretary/Railway Board

Email id : [t.srinivas1@gov.in](mailto:t.srinivas1@gov.in)

Tele No : 011-47845551

All Officers and Branches in Board's Office, COFMOW and at Dayabasti, New Delhi

Copy for information:-

EDPG/MR, EDPG/MOSR(D), EDPG/MOSR(J)



**SAFETY (ACCIDENTS & RULES)**

1. Train accidents (consequential and indicative) **excluding** cases of train wrecking, trespassing and run over, persons falling out of running trains, casualties in roof-top travelling, cases of landslides, breaches, OHE breakdowns, public agitations, etc.
2. Monitoring of consequential train accidents.
3. Receipt and circulation of consequential and indicative train accident messages.
4. Compilation & updating of Accident related data and statistics.
5. Analysis of consequential train accident statistics and trends.
6. Maintenance of Monthly Statement 'A' & 'B' showing detailed statistics of train accidents on Indian Railways.
7. Preparation of safety briefs for visits of Ministers, Board, Parliamentary Standing Committee and other similar Committees.
8. Submission of Monthly Review of train accidents to Board.
9. Para on Safety for Monthly Summary for the Cabinet.
10. Compilation of the Annual Safety Performance Booklet of Indian Railways.
11. Chapters on 'Safety' for 'Indian Railways 'Annual Report & Accounts' and Indian Railways 'Year Book'.
12. Establishment matters relating to staff in Safety Control.
13. Parliamentary business related to above items, including Calling Attention Notices, Cut Motions, Suo Moto Statements and Motions on Demands of Grants, etc. relating to Train Accidents and Safety.
14. Recommendations of Commissioners of Railway Safety relating to Rules.
15. Issues related to replacement of Guard's Boxes.
16. RTI cases related to above items.
17. Review of Safety Scenario with Zonal Railways (NER, ECR, NFR, WCR) and their Divisions especially in respect of systemic shortcomings/deficiencies, their identification and remedial measures thereon; and safety related Inspections of at least two installations in different Divisions in a month.
18. Any other work assigned by senior officers.

(Revised vide Office Order No. 19 of 2024)

\*\*\*\*\*



## **SAFETY (IMPLEMENTATION)**

1. Monitoring of Implementation of recommendations of High Powered Railway Accident Committees and Railway Safety Review Committee, HLSRC, etc.
2. Inspection Notes of Board Members, other Safety Officers – follow up.
3. Inspections and spot checks on actual practices being followed on Railways in the observance of rules and regulations affecting safe operation of trains.
4. Safety Inspections and Safety Drives.
5. Analysis of SPAD Cases and their follow up including DAR.
6. Accident Free Service Award to select Safety category staff; Zonal Safety and other Awards; Policy to reward persons who help in averting train accidents.
7. Issues regarding training of Safety Category Staff including PME, Refresher, Safety Camps etc.
8. Issues related to Psycho-testing of Safety related staff, coordination with RDSO's Psycho-Technical Cell on Safety related matters, Assessment Centres.
9. Coordination of activities of Safety Organisation on Zonal Railways, including Safety set up and preparation of safety briefs for various meetings, such as Board Meetings, Minister's Meeting with Board, PREM meetings, Consultative Committee of Members of Parliament, General Manager's conference, COM's Conference, CSOs' Conference, etc.
10. Enhancing and strengthening communication with field units regarding safety instructions; Activities relating to enhancement of safety in train operation.
11. Follow up action on corporate documents e.g. 'White Paper on Safety on IR', 'Corporate Safety Plan', etc.
12. Follow-up action on decisions taken in various meetings/conferences/committees and studies on items pertaining to Safety (Imp.).
13. Issues related to provision of Hand Signal Lamp and Tail Lamp etc.
14. Parliamentary business related to above items.
15. RTI cases related to above items.
16. Matters related to Loco Pilot Simulators, CVVRS, etc.
17. Review of Safety Scenario with Zonal Railways (ER, SER, ECoR and Metro/Kolkata) and their Divisions especially in respect of systemic shortcomings/deficiencies, their identification and remedial measures thereon; and safety related Inspections of at least two installations in different Divisions in a month.
18. Any other work assigned by senior officers.

(Revised vide Office Order No. 19 of 2024)

\*\*\*\*\*




## **IT-IV**

1. All Issues related to train services/rail traffic with respect to Indo-Pak Railways incl. parliamentary questions, CAiii references,
2. All matters pertaining to Freight Train Operations, Originating Freight loading targets, Performance and Measures for achieving target, Operating Efficiency, Monthly Operating Review, Freight performance of KRCL - related issues & policies
3. All matters pertaining to COM's/CFTMs conference- related issues
4. All matters pertaining to President, PM,MR,CRB,MT and associated offices excluding Inspection notes.
5. Performance review of zonal railways, brief for Board
6. Assessment of rolling stock for provision in the annual rolling stock programme as well as Plan periods on additional account except tank wagons.
7. All matters pertaining to indents - incl. outstanding indents etc.
8. Accident cases (recommendations of CRS/CCRS and CCRS's reports on safety matters), matters pertaining to safety in train operations.
9. All matters pertaining to NF Railway traffic and maintenance of related statistics
10. Issues/policies related to quota /restrictions and maintenance of related statistics
11. Parliament questions on above including booking & transportations of goods, working capacity of goods trains.
- 12. All matters relating to General Rules and Subsidiary Rules.**
- 13. Matters pertaining to Station Working Rules (SWRs).**
- 14. References of Zonal Railways relating to Operating Rules.**
- 15. Issues relating to running staff.**
- 16. Analysis of over 10-hour-duty cases of loco pilots.**
- 17. Matters related to EOTT**

(Revised vide Office Order No. 19 of 2024)

\*\*\*\*\*





भारत सरकार Government of India  
रेल मंत्रालय Ministry of Railways  
रेलवे बोर्ड Railway Board

**2024 का कार्यालय आदेश सं. 19**

(विषय सूची, जुलाई, 2013 संस्करण  
की संशोधन सं.60)

**विषय: संरक्षा (दुर्घटना एवं नियम) शाखा, संरक्षा (कार्यान्वयन) शाखा और टीटी-IV शाखा की संशोधित  
विषय सूची।**

-----


संरक्षा निदेशालय की संरक्षा (दुर्घटना एवं नियम) शाखा और संरक्षा (कार्यान्वयन) शाखा के कुछ विषयों को नीचे तालिकाकृत विवरणों अनुसार यातायात परिवहन निदेशालय की टीटी-IV शाखा में स्थानांतरित करने का विनिश्चय किया गया है। उक्त उल्लिखित शाखाओं की संशोधित विषय सूची अनुलग्नक-1 पर संलग्न सूची के अनुसार होगी। इसके अलावा, टीटी-IV शाखा नीचे उल्लिखित अनुसार इन विषयों के लिए कार्यपालक निदेशक टीटी/एस के अंतर्गत निदेशक/टीटी(जी) को रिपोर्ट करेगी:-

क्र.सं.	विषय	से स्थानांतरित	को स्थानांतरित
1.	सामान्य नियम और सहायक नियमों से संबंधित सभी मामले	संरक्षा (दुर्घटना एवं नियम) (मद सं.14)	टीटी-IV
2.	स्टेशन संचालन नियम (एसडब्ल्यूआर) से संबंधित मामले	संरक्षा (दुर्घटना एवं नियम) (मद सं.15)	
3.	परिचालन नियमों से संबंधित क्षेत्रीय रेलों के संदर्भ	संरक्षा (दुर्घटना एवं नियम) (मद सं.17)	
4.	रनिंग कर्मचारी से संबंधित मामले	संरक्षा (कार्यान्वयन) (मद सं.6)	
5.	लोको-पायलट की 10-घंटे-से अधिक की इयूटी के मामलों का विश्लेषण	संरक्षा (कार्यान्वयन) (मद सं.7)	
6.	ईओटीटी से संबंधित मामले	संरक्षा (कार्यान्वयन) (मद सं. 18 पार्ट)	

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सं. 2024/ओ एंड एम/7/10

दिनांक: 25.04.2024

  
(टी. श्रीनिवास)

संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

ईमेल आईडी: t.srinivas1@gov.in

टेली सं. : 011-47845551

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और शाखाएँ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (डी), कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (जे)



**संरक्षा (दुर्घटना एवं नियम)**

1. रेल गाड़ियों की तोड़-फोड़, अतिक्रमण और कुचलना, चल गाड़ियों से यात्रियों का गिरना, गाड़ी की छत पर बैठ कर यात्रा करते समय हताहत होने, भूस्खलन, उल्लंघन, शिरोपरि उपकरणों का खराब होना, जन आंदोलन आदि के मामलों के अलावा गाड़ी दुर्घटनाएँ (परिणामी और सांकेतिक)।
2. परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की निगरानी।
3. परिणामी और सांकेतिक गाड़ी दुर्घटना सूचनाओं को प्राप्त करना और उसे परिपत्रित करना।
4. दुर्घटना संबंधित डाटा और आंकड़ों का संकलन एवं अद्यतनीकरण।
5. परिणामी गाड़ी दुर्घटना आंकड़ों और रुझानों का विश्लेषण।
6. भारतीय रेल में गाड़ी दुर्घटनाओं के विस्तृत आंकड़ों को दर्शाने वाले मासिक विवरण 'ए' एवं 'बी' तैयार करना।
7. मंत्रियों, बोर्ड, संसदीय स्थायी समिति और अन्य समान समितियों के दौरों के लिए संरक्षा ब्रीफ तैयार करना।
8. बोर्ड को गाड़ी दुर्घटनाओं की मासिक समीक्षा प्रस्तुत करना।
9. मंत्रिमंडल के लिए संरक्षा पर मासिक संक्षिप्त विवरण।
10. भारतीय रेल की वार्षिक संरक्षा निष्पादन बुकलेट का संकलन।
11. भारतीय रेल की 'वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा' और भारतीय रेल 'वार्षिकी' के लिए संरक्षा पर अध्याय।
12. संरक्षा नियंत्रण में कर्मचारी से संबंधित स्थापना मामले।
13. गाड़ी दुर्घटनाओं और संरक्षण से संबंधित ध्यानकर्षण सूचना, कटौती प्रस्ताव, स्व प्रेरित बयान और अनुदान की मांगों सहित उक्त मदों से संबंधित संसदीय कार्य।
14. नियमों से संबंधित रेल संरक्षा आयुक्तों की सिफारिशें।
15. गार्ड बॉक्स को बदलने से संबंधित मामले।
16. उक्त मदों से संबंधित सूचना का अधिकार संबंधी मामले।
17. क्षेत्रीय रेलों (पूर्वरे, पूमरे, पूसीरे, पमरे) और उनके मंडलों में संरक्षा परिदृश्य मुख्यतः व्यवस्थित कमियों/खामियों के संबंध में संरक्षा परिदृश्य की समीक्षा करना, उनकी पहचान करना और तत्संबंधी निवारक उपाय करना; और एक माह में विभिन्न मंडलों में कम-से-कम दो संस्थापनाओं का संरक्षा संबंधी निरीक्षण करना।
18. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।

(2024 का कार्यालय आदेश सं.19 के तहत संशोधित)



### संरक्षा (कार्यान्वयन)

1. उच्चाधिकार रेल दुर्घटना समितियों और रेलवे संरक्षा समीक्षा समिति, एचएलएसआरसी आदि की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी।
2. बोर्ड के सदस्यों, अन्य संरक्षा अधिकारियों के निरीक्षण नोटों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
3. रेलगाड़ियों के सुरक्षित परिचालन को प्रभावित करने वाले नियमों एवं विनियमों के अनुपालन में रेलों में अपनाई जा रही वास्तविक पद्धतियों का निरीक्षण और मौके पर जांच करना।
4. संरक्षा निरीक्षण और संरक्षा अभियान।
5. एसपीएडी मामलों का विश्लेषण और अनुशासन एवं अपील नियमों (डीएआर) सहित अनुवर्ती कार्रवाई करना।
6. चुनिंदा संरक्षा कोटि के कर्मचारियों हेतु दुर्घटना मुक्त सेवा पुरस्कार, जोनल संरक्षा और अन्य पुरस्कार; रेल दुर्घटनाएं रोकने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार देने की नीति।
7. पीएमई, पुनश्चर्या, संरक्षा कैंप आदि सहित संरक्षा कोटि के कर्मचारियों के प्रशिक्षण संबंधी मामले शामिल हैं।
8. संरक्षा संबंधित कर्मचारियों के मनो-परीक्षण से संबंधित मामले, संरक्षा संबंधी मामलों पर अ.अ.मा.सं. के मनो-तकनीकी सेल के साथ समन्वय, आकलन केंद्र।
9. संरक्षा ढांचा और बोर्ड सदस्यों, बोर्ड सदस्यों के साथ मंत्री की बैठक, प्रेम (पीआरईएम) की बैठक, संसद सदस्य परामर्शदात्री समिति, महाप्रबंधक कॉन्फ्रेंस, सीओएम कॉन्फ्रेंस आदि जैसी विभिन्न समितियों के संरक्षा संक्षेप तैयार करने सहित क्षेत्रीय रेलों पर संरक्षा संगठनों की गतिविधियों का समन्वय।
10. संरक्षा अनुदेशों के संबंध में फील्ड इकाइयों के साथ संचार संवर्धन और सुदृढीकरण; गाड़ी परिचालन में संरक्षा संवर्धन संबंधी गतिविधियां।
11. कारपोरेट दस्तावेजों जैसे भारतीय रेल में संरक्षा पर श्वेत पत्र, कारपोरेट संरक्षा योजना आदि पर अनुवर्ती कार्रवाई।
12. विभिन्न बैठकों/सम्मेलनों/समितियों और संरक्षा (कार्यान्वयन) से संबंधित मदों पर अध्ययनों में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई।
13. हैंड सिगनल लैम्प और टेल लैम्प आदि के प्रावधान से संबंधित मामले।
14. उक्त मदों से संबंधित संसदीय कार्य।
15. उक्त मदों से संबंधित सूचना का अधिकार संबंधी मामले।
16. लोको पायलट सिमुलेटर, सीवीवीआरएस आदि से संबंधित मामले।
17. क्षेत्रीय रेलों (पूरे, दपूरे, पूतरे और मेट्रो/कोलकाता) और उनके मंडलों में संरक्षा परिदृश्य विशेषकर तंत्रानुसारी कमियों/खामियों के संबंध में संरक्षा परिदृश्य की समीक्षा करना, तत्संबंधी निवारक उपायों की पहचान करना; और विभिन्न मंडलों में एक माह में कम-से-कम दो संस्थापनाओं का संरक्षा संबंधी निरीक्षण करना।
18. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।

(2024 का कार्यालय आदेश सं. 19 के तहत संशोधित)



#### टीटी-IV

1. संसदीय प्रश्न, सीए॥ संदर्भ सहित भारत-पाकिस्तान रेलवे के संबंध में रेल सेवाओं/रेल यातायात से संबंधित सभी मामले।
2. माल यातायात रेलगाड़ी परिचालन, प्रारंभिक माल यातायात लदान लक्ष्य, निष्पादन एवं लक्ष्य प्राप्त करने के उपाय, परिचालन कुशलता, मासिक परिचालन समीक्षा, केआरसीएल की माल यातायात निष्पादन से संबंधित मामले - संबंधित मुद्दे एवं नीतियाँ।
3. सीओएम/सीएफटीएम सम्मेलन से संबंधित सभी मामले - संबंधित मुद्दे।
4. निरीक्षण नोट के अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड, सदस्य/ एम ओ बी डी और सहायक कार्यालयों के सभी संबंधित मामले।
5. क्षेत्रीय रेलों की निष्पादन समीक्षा, बोर्ड के लिए संक्षेप।
6. टैंक मालडिब्बों के अलावा वार्षिक चल स्टॉक कार्यक्रम में प्रावधान हेतु चल स्टॉक के आंकलन के साथ-साथ अतिरिक्त लेखे की अवधि तैयार करना।
7. बकाया मांगपत्रों आदि सहित मांगपत्रों से संबंधित सभी मामले।
8. दुर्घटना मामले (संरक्षा मामलों पर सीआरएस/सीसीआरएस की सिफारिशें और सीसीआरएस की रिपोर्टों), रेलगाड़ी परिचलनों की संरक्षा से संबंधित मामले।
9. पूर्वोत्तर सीमा रेलवे यातायात से संबंधित सभी मामले और संबंधित आंकड़ों को तैयार करना।
10. कोटा/प्रतिबंधों से संबंधित मामले/नीतियाँ और संबंधित आंकड़ों को तैयार करना।
11. उक्त सहित माल बुक करने एवं परिवहन, माल गाड़ियों की कार्य क्षमता पर संसदीय प्रश्न।
12. सामान्य नियम और अनुषंगी नियमों से संबंधित सभी मामले।
13. स्टेशन संचालन नियम (एसडब्ल्यूआर) से संबंधित मामले।
14. परिचालन नियमों से संबंधित क्षेत्रीय रेलों के संदर्भ।
15. रनिंग स्टाफ से संबंधित मामले।
16. लोको पायलटों के 10-घंटे से अधिक ड्यूटी संबंधी मामलों का विश्लेषण।
17. ईओटीटी से संबंधित मामले।

(2024 का कार्यालय आदेश सं. 19 के तहत संशोधित)